छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय:बिलासपुर

रिट याचिका सेवा संख्या:3663/2009

याचिकाकर्ता रामचंद्र कुरुप

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

और

रिट याचिका सेवा संख्या 3849, 3298, 3302, 3303, 3305, 3306, 3339, 3364, 3365, 3369, 3371 और 3426 /2009

दिनांक 2 नवंबर, 2009 को निर्णय एवं आदेश हेतु सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय:बिलासपुर

रिट याचिका सेवा संख्या:3663/2009

याचिकाकर्ता रामचंद्र कुरुप

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

और

2009 की याचिका सेवा संख्या 3849, 3298, 3302, 3303, 3305, 3306, 3339, 3364, 3365, 3369, 3371 और 3426/2009

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

(एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री न्यायमूर्ति)

श्री के. आर. नायर, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता।

श्री एन. एन. रॉय, उत्तरवादीगण/राज्य के पैनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय एवं आदेश

(दिनांक 23 नवम्बर, 2009 को पारित)

1. याचिकाओं के इस समूह अर्थात् याचिका सेवा संख्या 3849, 3298, 3302, 3303, 3305, 3306, 3339, 3364, 3365, 3369, 3371, 3426 और 3663/2009 में दिनांक 8.6.2009 के आदेश (अनुलग्नक पी/1) को चुनौती दिया गया है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया है और दिनांक 8.6.2009 के आदेश (रिट याचिका सेवा संख्या 3302/2009 (अनुलग्नक पी/16) को, जिसके द्वारा सहायक ग्रेड-III के संबंध में, जिन्होंने हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, वेतन वृद्धि का लाभ देने वाले आदेश रद्द कर दिया गया हैं।

2. संक्षेप में, इन रिट याचिकाओं के समूह में रिट याचिका सेवा संख्या 3849, 3298, 3302, 3303, 3305, 3306, 3339, 3364,3365, 3369, 3371, 3426 और 3663 /2009 में निर्विवादित तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं को सहायक ग्रेड-III के पद पर इस शर्त के साथ नियुक्त किया गया था कि वे हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही वार्षिक वेतन वृद्धि के हकदार होंगे। इसके पश्चात, याचिकाकर्ताओं ने हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए, तदनुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से उनका वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकार किया गया न कि उनकी नियुक्ति की तिथि से।

3. कुछ समान स्थिति वाले कर्मचारियों ने राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, **मलयादीन वर्मा एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1991 एमपीएसटी 379)** मामले में न्यायाधिकरण ने आदेश पारित किया कि आवेदक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने के हकदार हैं। **ओ.ए. संख्या 1981/99 (बी.एल. गोयल बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य)** में, न्यायाधिकरण ने दिनांक 29.10.1999 के आदेश द्वारा उत्तरवादीगण/राज्य को निर्देश दिया कि वे मलयादीन वर्मा के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में आवेदक के मामले की जाँच करें और यदि ऐसी जाँच में आवेदक का मामला समान पाया जाता है, तो वेतन वृद्धि का लाभ उन्हें भी दिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. **बी. एल. गोयल (पूर्वोक्त)** में पारित दिनांक 29.10.1999 के आदेश के अनुसरण में, जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता ने दिनांक 12.12.2000 के आदेश द्वारा मुख्य अभियंताओं को निर्देश दिया कि न्यायाधिकरण के निर्णय के आलोक में, सभी समान स्थिति वाले सहायक ग्रेड-III, जिन्होंने हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की है अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के एक वर्ष पश्चात वार्षिक वेतन वृद्धि के हकदार होंगे।

5. इसके पश्चात, याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएँ दायर कीं जिनका याचिकाकर्ताओं को संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हुए निराकरण किया गया और संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अभ्यावेदन पर विचार करें और विधि के तहत उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लें।

6. इस दौरान, क्रमशः दिनांक 27.11.2006, 23.7.2008 और 15.2.2007 के आदेशों द्वारा, याचिकाकर्ताओं को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से एक वर्ष पश्चात वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया।

7. याचिकाकर्ताओं ने ये रिट याचिकाएँ उत्तरवादी/प्राधिकारी की कार्रवाई से व्यथित होकर दायर की हैं, क्योंकि उनके अभ्यावेदन दिनांक 8.6.2009 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिए गए हैं (अनुलग्नक पी/1)। उसी दिन, दिनांक 8.6.2009 का एक अन्य आक्षेपित आदेश (रिट याचिका सेवा संख्या 3302/2009 में अनुलग्नक पी/16) पारित किया गया, जिसके तहत और जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं को वेतन वृद्धि का लाभ देने वाले दिनांक 27.11.2006, 23.7.2008 और 15.2.2007 के आदेश रद्द कर दिए गए।

8. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उत्तरवादी न्यायिक निर्णय के विपरीत कोई रुख नहीं अपना सकते, जैसा कि पूर्व में बताया गया है। याचिकाकर्ता समान स्थिति वाले कर्मचारी हैं और वे **मलयादीन वर्मा (पूर्वोक्त), बी. एल. गोयल (पूर्वोक्त) और कई अन्य** के मामले में दिए गए लाभ के हकदार हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई गलती नहीं है। उन्होंने कोई दुर्व्यपदेशन नहीं किया है और उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की गई है, वह भी राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा समान स्थिति वाले कर्मचारियों के मामलों में दिए गए न्यायिक फैसले के अनुपालन में।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. दिनांक 8.6.2009 का आक्षेपित आदेश, जिसमें प्रशासनिक निर्देशों के आधार पर पूर्व में दी गई वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ वापस लिया गया है, विधिवत अनूचित, अवैध और न्यायिक निर्णयों के विपरीत है। वसूली के लिए दिया गया कारण कायम रखे जाने योग्य नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की कोई गलती नहीं थी। उत्तरवादी, याचिकाकर्ताओं को पहले ही भुगतान की जा चुकी राशि की वसूली नहीं कर सकते; क्योंकि कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है, जिन्होंने नियोक्ता को कोई के समक्ष कोई दुर्व्यपदेशन या गुमराह नहीं किया है।

10. उत्तरवादीगण/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया है जिन्होंने न्यायालय/अधिकरण का दरवाजा खटखटाया था। न्यायाधिकरण ने सभी समान स्थिति वाले व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने के लिए कोई सामान्य आदेश पारित नहीं किया है। अतः आक्षेपित आदेश न्यायसंगत और उचित हैं।

11. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और उनसे संलग्न तर्कों और दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात, इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय तथ्य यह है कि क्या एक बार जब याचिकाकर्ताओं को, उनकी कोई गलती न होने पर भी, वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ जो न्यायिक आदेश द्वारा प्रदान कर दिया गया था, तो क्या उसे न्यायिक आदेश द्वारा बाद में कार्यकारी निर्देशों द्वारा वापस लिया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने समान तथ्यो पर विचार करते हुए कहा कि न्यायिक निर्णय को सीधे तौर पर रद्द या पलटा नहीं जा सकता, यहाँ तक कि विधायिका द्वारा भी नहीं। कार्यकारी निर्देश किसी भी तरह से न्यायिक निर्णय को पलट या रद्द नहीं कर सकते। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं को न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुसार लाभ प्रदान किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. यह सर्व-विदित है कि विधायिका भी न्यायिक निर्णयों को सीधे तौर पर रद्द, उलट या रद्द नहीं कर सकती। वर्तमान मामले में, राज्य सरकार ने वैधानिक निर्देशों द्वारा **मलयादीन वर्मा (पूर्वोक्त), बी. एल. गोयल (पूर्वोक्त)** के मामले में न्यायाधिकरण द्वारा पारित न्यायिक आदेश को नकारने का प्रयास किया है।

13. इसमें कोई विवाद नहीं है कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश अंतिम हो गए हैं, क्योंकि उसके पश्चात उत्तरवादीगण/प्राधिकारियों द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई।

14. सर्वोच्च न्यायालय ने **ए. मंजुला भाषिनी एवं अन्य बनाम प्रबंध निदेशक, आंध्र प्रदेश महिला सहकारी वित्त निगम लिमिटेड एवं अन्य**[1] मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

---

[1] (2009) 8 एससीसी 431

"**68.** यह भी सर्वमान्य है कि विधायिका केवल घोषणा द्वारा, बिना किसी अतिरिक्त प्रावधान के, किसी न्यायिक निर्णय को सीधे तौर पर नामंजूर, उलट या नामंजूर नहीं करसकती। हालाँकि, वहसंविधान के अनुच्छेद 245 और 246 द्वारा प्रदत्त पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी वैध विधि को मूल रूप से परिवर्तित करके, न्यायिक निर्णय को अप्रभावी कर सकती है। जिन शर्तों पर ऐसा निर्णय आधारित है। ऐसे विधि को किसी मान्य तिथि के साथ या किसी विशेष तिथि से भूतलक्षी प्रभाव भी दिया जा सकता है। प्रश्न यह कि क्या विधायिका के पास ऐसा विधि बनाने की शक्ति है जो स्पष्ट रूप से पूर्व-विद्यमान निर्णय को प्रभावित करता हो या मौजूदा कानून में संशोधन करता हो जिसकी न्यायालय द्वारा पहले ही किसी विशेष तरीके से व्याख्या की जा चुकी हो, कई मामलों में विचार किया गया है।"

15. उत्तरवादी/प्राधिकारियों ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया है और आक्षेपित कार्रवाई याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही की गई है। बिना कारण बताओ सूचना या अवसर दिए, दीवानी परिणामों से जुड़े आदेश पारित करने की प्रथा की निंदनीय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. सुनवाई का अवसर दिए बिना लाभों को वापस लेने का प्रश्न अब प्रासंगिक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने **साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य**[2] के मामले में कंडिका 5 में निम्नलिखित निर्णय दिया:

"**5.** हालाँकि, यह अपीलकर्ता द्वारा किए गए किसी दुर्व्यपदेशन के कारण नहीं है कि उसे उच्च वेतनमान का लाभ दिया गया था, बल्कि सिद्धांतो की गलत व्याख्या के कारण है जिसके लिए अपीलकर्ता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इन परिस्थितियों में, आज तक भुगतान की गई राशि अपीलकर्ता से वसूल नहीं की जा सकती।"

17. **पी.तुलसीदास एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य**[3] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि उच्च वेतन या संशोधित वेतन के रूप में पूर्व में प्राप्त लाभ को वापस नहीं लिया जा सकता क्योंकि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और

---

[2] { 1995 supp (1) एससीसी 20}

[3]{ए.आई.आर.2003 एससी 43}

16 का उल्लंघन है और मनमाना, अनुचित और स्वामित्व हरणात्मक है।

18. एक समान मुद्दे में, कि क्या कर्मचारी की बिना किसी गलती के अतिरिक्त भुगतान की वसूली प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय ने **सैयद अब्दुल कादिर एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य**[4] मामले में, मामले के सभी पहलुओं और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णयों पर विचार करने के पश्चात, **निम्नलिखित टिप्पणी की:**

"57. इस न्यायालय ने अनेक निर्णयों में, परिलब्धियों/भत्तों के अतिरिक्त भुगतान की वसूली के विरुद्ध अनुतोष प्रदान की है यदि **(क)** कर्मचारी की ओर से किसी दुर्व्यपदेशन या कपट के कारण अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया था, और **(ख)** यदि नियोक्ता द्वारा ऐसा अतिरिक्त भुगतान वेतन/भत्ते की गणना के लिए गलत सिद्धांत लागू करके या नियम/आदेश की किसी विशेष व्याख्या के आधार पर किया गया था, जो बाद में गलत पाई गई।

58. न्यायालयों द्वारा वसूली के विरुद्ध अनुतोष कर्मचारियों के किसी अधिकार के कारण नहीं, बल्कि न्यायसंगतता के आधार पर दी जाती है, जिसमें न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए कर्मचारियों को उस कठिनाई से अनुतोष दी जाती है जो वसूली का आदेश दिए जाने पर उत्पन्न होगी। लेकिन, यदि किसी मामले में, यह साबित हो जाता है कि कर्मचारी को पता था कि प्राप्त भुगतान देय राशि से अधिक था या गलत तरीके से भुगतान किया गया था, या ऐसे मामलों में जहाँ त्रुटि का पता चल जाता है या उसे गलत भुगतान के थोड़े समय के भीतर ठीक कर दिया जाता है, और मामला न्यायिक विवेकाधिकार के क्षेत्र में आता है, न्यायालय, किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली का आदेश दे सकता है। **देखें साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य, श्याम बाबू वर्मा बनाम भारत संघ, भारत संघ बनाम एम. भास्कर, वी. गंगाराम बनाम निदेशक, कर्नल बी.जे.अक्कारा(सेवानिवृत्त) बनाम भारत सरकार, पुरषोत्तम लाल दास बनाम बिहार राज्य, पंजाब नेशनल बैंक बनाम मंजीत सिंह और बिहार एसईबी बनाम बिजय बहादुर।"**

---

[4] (2009) 3 एससीसी 475

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. सर्वोच्च न्यायालयों के उपरोक्त निर्णयों में एक समान बात यह है कि, परिलब्धियों/भत्तों के अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए, तीन शर्तें हैं जिनमें अतिरिक्त भुगतान की वसूली की जा सकती है, अर्थात् **(i)** अतिरिक्त भुगतान कर्मचारी की ओर से दुर्व्यपदेशन या कपट के कारण किया गया था, **(ii)** कर्मचारी को पता था कि प्राप्त भुगतान अधिक था, और **(iii)** त्रुटि को गलत भुगतान के कम समय के भीतर ठीक कर दिया गया था। वर्तमान मामले में,उपर्युक्त तीन शर्तें दिनांक 8.6.2009 के आक्षेपित आदेश पारित करने के लिए (अनुलग्नक P/16" रिट याचिका संख्या 3302/2009) नियोक्ता के पास उपलब्ध नहीं है

20. पूर्वोक्त के मद्देनजर, दिनांक 8.6.2009 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक P/l), जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन रद्द कर दिए गए हैं और साथ ही, याचिकाकर्ताओं के संबंध में दिनांक 8.6.2009 के वसूली आदेश (रिट याचिका सेवा संख्या 3302/2009 में अनुलग्नक P/16) भी रद्द किए जाते हैं। आक्षेपित आदेशों के अनुसरण में याचिकाकर्ताओं से वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान की कोई वसूली नहीं की जा सकती। यदि राशि पहले ही वसूल की जा चुकी है, तो याचिकाकर्ता 6% प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित उक्त राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

21. याचिकाएँ उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती हैं। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

अनुवादक
पुष्यमित्र मलतियार
8920842316
अम्बिकापुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur